



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240409
CG-DL-E-18112022-240409

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5165]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944

No. 5165]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

का.आ. 5393(अ).—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 293 की उपधारा (4) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 861 (अ), तारीख 18 फरवरी, 2020 के अधिक्रमण में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उक्त संहिता की धारा 293 के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में (i) प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक अथवा सहायक प्राध्यापक (ii) उप- निदेशक (iii) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (iv) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को विनिर्दिष्ट करती हैं।

[फा. सं. 25013/23/2019-डब्लू एस-III]

अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th November, 2022

S.O. 5393(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (4) of section 293 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and in supersession of notification number S.O. 861 (E), dated the 18 February, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary part II, section 3, sub-section (ii), the Central Government hereby specifies,- (i) Professor, Associate Professor or Assistant Professor, / (ii) Deputy Director, / (iii) Senior Scientific Officer, and / (iv) Junior Scientific Officer of the National Forensic Sciences University as Government scientific experts for the purpose of section 293 of the said Code with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 25013/23/2019-WS-III]

ANIL SUBRAMANIAM, Jt. Secy.